सं ई- 11017/3/2023-हिन्दी/ 393

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केंद्रीय जल आयोग

(हिंदी अनुभाग)

नवीन पुस्तकालय भवन,
राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली -110066
दिनांक 29 दिसंबर, 2023

विषय: के.ज.आ (मु.) में राजभाषा संबंधी निर्धारित लक्ष्यों संबंधी जानकारी।

अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में दिनांक 20.12.2023 को हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदय ने के.ज.आ (मु.) में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि हेतु राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य करने का निदेश दिया है। तदनुसार, राजभाषा संबंधी निम्नलिखित आवश्यक जानकारी अनुपालनार्थ दी जा रही है:-

1- हिन्दी बोले जाने और लिखे जाने के आधार पर देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तीन क्षेत्रों में चिन्हित किया गया है। इन तीनों क्षेत्रों यथा 'क', 'ख' और 'ग' का विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्षेत्र	क्षेत्र में शामिल राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र
'क'	बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।
'ख'	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली।
'ग'	'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र।

2. - केन्द्रीय जल आयोग 'क' क्षेत्र में स्थित है जिसके लिए मूल पत्राचार का लक्ष्य इस प्रकार है-

क क्षेत्र के साथ - 100%

ख क्षेत्र के साथ - 100%

3. - हिन्दी में प्राप्त होने वाले सभी पत्रों का उत्तर केवल हिन्दी में ही दिया जाए।
4. - 'क' और 'ख' क्षेत्रो से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में ही दिए जाए।
5. - सभी फाइलों में टिप्पणियां हिन्दी में ही लिखी जाएं।

6. - धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी 14 कागजातों को अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में ही तैयार किया जाए जो इस प्रकार हैं:-

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा (3) 3 के अंतर्गत अनिवार्य रुप से द्विभाषी जारी किए जाने वाले कागज़ात		
1	सामान्य आदेश	General Orders
2	संकल्प	Resolution
3	परिपत्र	Circulars
4	नियम	Rules
5	प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन	Administrative or other reports
6	प्रेस विज्ञप्तियां	Press Release/Communiques
7	संविदाएं	Contracts
8	करार	Agreements
9	अनुज्ञप्तियां	Licences
10	निविदा फॉर्म	Tender Forms
11	अनुज्ञा पत्र	Permits
12	निविदा सूचनाएं	Tender Notices
13	अधिसूचनाएं	Notifications
14	संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज़ पत्र	Reports and documents to be laid before the Parliament

माननीय अध्यक्ष महोदय के निदेशानुसार, शीघ्र ही सभी अनुभागों/ निदेशालयों/ स्कंधों का निरीक्षण किया जाएगा। अतः सभी अनुभागों/निदेशालयों/स्कंधों से अनुरोध है कि कृपया उक्त राजभाषा नियमों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

29/12/2023
(रजिन्दर पॉल)
उपनिदेशक (रा.भा.)

सभी अधिकारी/कर्मचारी, केंद्रीय जल आयोग (मु.)